


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक **D/5363/**

जबलपुर, दिनांक 27/10/2021

श्री चंदन पाण्डे, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 31.03.2021 से निरंतर अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस क्रमांक प्रोटोकॉल 806/2021, इंदौर दिनांक 09.04.2021 के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति न करें, असफल रहने पर आप कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होंगे।



(राजेन्द्र कुमार वाणी)


रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक **D/5364/**

जबलपुर, दिनांक 27/10/2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,
 2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 3. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 4. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.)/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) स्था./ उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 8. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, म.प्र.
 9. श्री चंदन पाण्डे, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शनी शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for